न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
दावा संख्या 78 वर्ष 2011
रामप्रसाद पुत्र सुखदेवा जाति ब्राह्मण निवासी बाजोलिया तहसील उनियारा
बनाम
लड्डू पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी बाजोलिया तहसील उनियारा वगैरह
वाद बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
12.3.2016	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मे पेश हुयी । वादीगण के वकील व प्रतिवादी न0 4 के वकील उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 वाके ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा मे साबिक आराजी ख0न0 22, 34, 70/2, 449, 43/1/2, 454/2 कुल किता 6 कुल रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा रामनिवास सुखदेवा पि0 धन्ना कोम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार ब.हि. बराबर दर्ज है। नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से निम्न प्रकार हाल ख0नम्बर कायम हुये है:–	

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
34	2 बीघा 10 बिस्वा	94	0.66
22	8 बीघा 5 बिस्वा	129	2.08
68 मि	–	204	1.12
71 मि	–	223	0.76
454/2	5 बिस्वा	786	0.10
449	3 बीघा 2 बिस्वा	848	0.78
433 मि	–	867	0.02
433 मि	2 बीघा 2 बिस्वा	868	0.54

नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 वाके ग्राम बाजोलिया मे हाल आराजी ख0न0 94 रकबा 0.66, 129 रकबा 2.08, 786 रकबा 0.10 कुल किता 3 कुल रकबा 2.84 लड्डू दुर्गालाल पि0 रामनिवास कोम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज है। जिसमे से दुर्गालाल के द्वारा 1/2 हिस्सा एसबीबीजे शाखा उनियारा के रहन दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 वाके ग्राम बाजोलिया मे हाल आराजी ख0न0 848, 867, 868 कुल किता 3 कुल रकबा 1.34 है0 लड्डू दुर्गालाल पि0 रामनिवास हि 1/2 सुखदेवा पत्र धन्ना कोम ब्राह्मण हि0 1/2 सा देह खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी न0 1 व 2 के द्वारा वाद मे उपस्थित होना तथा वाद मे पैरवी न करना वादी के वाद का परोक्ष समर्थन है। राजस्व रिकार्ड से वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का 1/2 हिस्सा सिद्व है। प्रतिवादी न0 4 के वकील का कथन है कि भूमि बैंक के रहन है। बैंक की राशि जमा होने के बाद वादीगण का नाम दर्ज करने मे कोई आपत्ति नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को हाल आराजी ख0न0 94 रकबा 0.66, ख0न0 129 रकबा 2.08, ख0न0 786 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित बैंक का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का नाम इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। यह आदेश आज दिनांक 12.3.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

प्रपत्र –5
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत

रामप्रसाद पुत्र सुखदेवा जाति ब्राहम्ण निवासी बाजोलियां तहसील उनियारा जिला टोंक

उनवान

– वादी

बनाम

1.लड्डू पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी बाजोलियां तहसील उनियारा जिला टोंक
2.दुर्गाशंकर पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी बाजोलियां तहसील उनियारा जिला टोंक
3..तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक
4.स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा उनियारा द्वारा शाखा प्रबन्धक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज
मुकदमा नम्बर :– 78 वर्ष 2011

वादीगण की ओर से श्री पी0सी0जैन वकील, प्रतिवादी न0 4 की और से श्री कन्हैयालाल ठाडा वकील की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 12.3.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण को हाल आराजी ख0न0 94 रकबा 0.66, ख0न0 129 रकबा 2.08, ख0न0 786 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित बैंक का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का नाम इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 3 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner